न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी, थानागाजी जिला अलवर।

पीठासीन अधिकारी :– अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)
राजस्व अपील संख्या :– 12/01
तारीख दायर :– 12/03/2019

उनवान

1. दुर्गाप्रसाद पुत्र सुखदेव जाति मीना निवासी सीलीबावडी तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान। –अपीलान्ट।

बनाम

1. ग्राम पंचायत सीलीबावडी जरिये संरपच ग्राम पंचायत सीलीबावडी तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान। – रेस्पोडेन्ट।

॥ अपील विरूद्व निर्एय ग्राम पंचायत सीलीबावडी विरासत इन्तकाल संख्या 240 दिनांक 21.06.2004 ॥

उपस्थिति :–

1. श्री गोपीराम शर्मा, एडवोकेट अपीलान्ट।
2. श्री चेतरात गुर्जर एडवोकेट रेस्पोडेन्ट।

न्यायालय द्वारा :–

निर्णय **दिनांकः– 10.06.2019**

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट के नाम सुगलाराम पुत्र सुखदेव जाति मीना निवासी सीलीबावडी तहसील थानागाजी की विरासत इन्तकाल संख्या 240 दिनांक 21/06/2004 ग्राम पंचायत सीलीबावडी ने स्वीकृत फरमा दिया जो निर्णय कतई गलत, खिलाफ कानून व मौका है एंव निरस्त किये जाने योग्य है। यह अपील हाजा ग्राम पंचायत सीलीबावडी के निर्णय विरूद्व है। अपीलान्ट के पिता सुखदेव पुत्र अमरा की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी खाता संख्या 200 खसरा नम्बर 6 रकबा 0.22, 24 रकबा 0.29, 26 रकबा 0.24, 29 रकबा 0.19, 35 रकबा 0.43, 37 रकबा 0.07, 40 रकबा 0.10, 67 रकबा 0.23, 69 रकबा 0.10, 170 रकबा 0.03, 276 रकबा 0.10, 587 रकबा 0.43, 626 रकबा 0.72, 627 रकबा 0.09, 628 रकबा 0.33, 639 रकबा 0.25 है. किता 16 रकबा 3.82 है. एवं खाता संख्या 199 खसरा नम्बर 38 रकबा 1.15 है. वाकै ग्राम सीलीबावडी तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान में स्थित चली आती है। उपरोक्त आराजी पर सुखदेव की मृत्यु के उपरान्त बहैसियत वारिस अपीलान्ट काबिज है और काबिज रहकर काश्त करता आ रहा है। और आज भी मौके पर उसका कब्जा काश्त मौजूद है। अपीलान्ट के पिता की मृत्यु के बाद विरासत इन्तकाल संख्या 240 दिनांक 21/06/2004 अपीलान्ट को बिना सुने बिना दस्तावेज की जांच किये ही ग्राम पंचायत सीलीबावडी ने अपीलान्ट का नाम सुगलाराम दर्ज कर दिया जबकि अपीलान्ट का वास्तविक नाम दुर्गाप्रसाद है जो अन्य सभी दस्तावेज परिवार राशन कार्ड मतदाता पहचान आधार कार्ड भामाशाह कार्ड आदि में दुर्गाप्रसाद पुत्र सुखदेव दर्ज है। अपीलान्ट ने निवेदन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर इन्तकाल विरासत निर्णय संख्या 240 दिनांक 21.06.2004 निरस्त किया

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

Scanned by CamScanner

जावे एवं अपीलान्ट का नाम विरासत इन्तकाल मे सुगलाराम पुत्र सुखदेव के बजाय दुर्गाप्रसाद पुत्र सुखदेव नाम दर्ज व मंजूर करने के आदेश जारी हो।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई तथा रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री चेतराम गूर्जर एडवोकेट ने उपस्थित होकर इकबाल जवाब में प्रस्तुत किया जिसके अनुसार अपील के तथ्य सही है, अपीलान्ट का नाम विरासत इन्तकाल में सुगला की बजाय दुर्गाप्रसाद किया जाना उचित है।

विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावाली में उपलब्ध नकल इन्तकाल संख्या 240 दिनांक 21.06.2004 में अपीलान्ट का नाम सुगलाराम पुत्र सुखदेव जाति मीणा के नाम से दर्ज करते हुए फैसला किया गया है जबकि अन्य दस्तावेजों यथा परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि में अपीलान्ट का नाम दुर्गाप्रसाद दर्ज है। अपीलान्ट अपने नाम की शुद्वि कराना चाहता है एवं ग्राम पंचायत सीलीबावडी द्वारा एक प्रमाण पत्र जारी किया है जिसमें अपीलान्ट का नाम दुर्गाप्रसाद बताया गया है। उक्त अपील में अन्य दस्तावेज के आधार पर नाम बदलने का अनुरोध किया गया है। अन्य सभी दस्तावेजों के अनुसार अपीलान्ट का नाम दुर्गाप्रसाद होना प्रमाणित है। उपरोक्त सभी तथ्यों के परिपेक्ष्य में अपील अपीलान्ट काबिले स्वीकार है।

अतः आदेश है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत सीलीबावडी का निर्णय दिनांक 21.06.2004 बाबत इन्तकाल संख्या 240 वाकै ग्राम सीलीबावडी अपास्त किया जाता है। तथा तहसीलदार थानागाजी को निर्णय की प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि अपीलान्ट के नाम के संबध में विधिवत जांच कर पुनः निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 10.06.2019 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)
थानागाजी (अलवर)
उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी

Scanned by CamScanner